भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1711

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

बजट 2025-26 में कल्याणकारी उपाय

1711. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2025-26 के लिए केन्द्रीय बजट में बिहार को कई वित्तीय प्रतिबद्धताओं के साथ असंगत रूप से लाभ पहुंचाया गया है और यदि हां, तो सरकार किस तरह से राज्यों में समान विकास सुनिश्चित कर रही है;

(ख) स्कूल में नाश्ता, छात्रों के लिए दूध और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को बजट में शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का शिक्षा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों द्वारा अनुशंसित इन आवश्यक कल्याणकारी उपायों को शामिल करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क से घ): केंद्रीय बजट 2025-26 विकास प्राथमिकताओं के आधार पर और हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था। बजट-पूर्व परामर्श के भाग के रूप में**,** राज्य सरकारों**,** भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। सुझावों पर विचार करते हुए**,** केंद्रीय बजट 2025-26 में आबंटन किए गए हैं। अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए बजट आबंटन https://www.indiabudget.gov.in/. पर व्यय बजट में उपलब्ध है।

*****